

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आवंटन क्रमांक-
14/2024-25

सं0सं0-03/प्र0-आवंटन (MMPPY)-14-01/2024 -08

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
भोजपुर, वैशाली, नालन्दा, मधुबनी एवं भागलपुर।

पटना, दिनांक-07/01/2025

विषय- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-13, दिनांक-07/01/25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 40,00,000/- (चालीस लाख) रु0 मात्र की राशि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-13, दिनांक-07/01/2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 40,00,000/- (चालीस लाख) रु0 की राशि जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर, वैशाली, नालन्दा, मधुबनी एवं भागलपुर को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना में मांग संख्या-47 से निम्न प्रकार की जायेगी:-

क्र0	योजना शीर्ष	जिला का नाम	राशि
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़कपरिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0102-मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055001990102 विस्तृत शीर्ष/वस्तुगत शीर्ष-विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी	जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर	10,00,000 / -
		जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली	5,00,000 / -
		जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा	10,00,000 / -
		जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर	10,00,000 / -
		जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी	5,00,000 / -
कुल		40,00,000 / -	

3. जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर, वैशाली, नालन्दा, मधुबनी एवं भागलपुर द्वारा इस राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-13, दिनांक-07/01/25 में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे। अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा लगातार व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा।

4. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0-एम-4-05/98-2561 वि (2), दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

5. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-8803, दिनांक-23.11.2023 के आलोक में पूरी छान-बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व चयनित लाभुक से